बिहार सरकार
कृषि विभाग
बिहार बागवानी विकास सोसायटी, पटना
(राज्य बागवानी मिशन)

बैरक संख्या–13, मुख्य सचिवालय परिसर, पटना– 800015

"रूचि की अभिव्यक्ति"

बिहार हॉर्टिकल्चर डेभलपमेंट सोसायटी, पटना राष्ट्रीय बागवानी मिशन एवं अन्य केन्द्र/राज्य प्रायोजित बागवानी विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। बागवानी विकास की विभिन्न योजनाओं का त्वरित एवं सम्यक रूप से क्रियान्वयन हेतु कतिपय अवयवों की संस्थापना एवं आपूर्ति आदि कार्यों के ससमय सम्पादन हेतु वैसे उत्पादक/फर्म/एजेन्सी को पैनलबद्ध करने हेतु ''रूचि की अभिव्यक्ति'' दिनांक 30.11.2011 को 3.00 बजे अपराहन् तक आमंत्रित की जाती है। ''रूचि की अभिव्यक्ति'' दिनांक 30.11.2011 को 5.00 बजे अपराहन् में मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष निविदादाता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जायेगी।

तकनीकी एवं वित्तीय रूप से सफल निविदादाताओं का पैनल तैयार किया जायेगा। पैनलबद्ध उत्पादक/फर्म/एजेन्सी/संगठन/संस्था/कम्पनी जो भी हों बिहार हॉर्टिकल्चर डेभलपमेंट सोसायटी, पटना द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं अन्तर्गत अवयवों की आपूर्ति/संस्थापन हेतु सक्षम होगें।

इच्छुक उत्पादक/फर्म/एजेन्सी/संगठन/संस्था/कम्पनी जो भी हो निम्न अवयवों की आपूर्ति /संस्थापना हेतु सीलबन्द लिफाफे में ''रूचि की अभिव्यक्ति'' का प्रस्ताव उपर्युक्त निर्धारित तिथि तक मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, बैरक संख्या –13, मुख्य सचिवालय परिसर, पटना–15 के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् ''रूचि की अभिव्यक्ति'' से संबंधित प्रस्ताव किसी भी स्थिति में प्राप्त नहीं किया जायेगा।

क्रमांक	विवरण	विनिर्देश	दर
1.	ग्रीन हाउस/पॉली हाउस की संस्थापना	राष्ट्रीय बागवानी मिशन/एन.सी.पी.ए.एच.के दिशा–निर्देशों के विनिर्देशों के अनुसार	
	(क) (ट्यूबलर)		
	(ख) फैन पैड		
	(ग) बैम्बू स्ट्रक्चर		
2.	शेड नेट/शेड हाउस की संस्थापना		
3.	मल्च फिल्म (25, 30 एवं 35 माईक्रोन)		
4.	आई॰एन॰एम॰/आई॰पी॰एम॰ कीट		
5.	वर्मी बेड	IS 15907:2010	
6.	बी–बॉक्स (मधु बक्सा) 4 फ्रेम	राष्ट्रीय बागवानी मिशन के दिशा–निर्देशों के विनिर्देशों के अनुसार	
7.	हनी एक्सट्रैक्टर		
8.	फुड ग्रेड कन्टेनर (30 Kg)		
9.	उर्जा चालित मशीन/यंत्र पावर चेन शॉ/ बुश कटर तथा पौधा संरक्षण यंत्र सहित।		

www.horticulture.bih.nic.in

10.	कन्द/कट/ खुले हुए फूल की बीज/रोपण सामग्री		
11.	पपीता बीज/ रोपण सामग्री		
12.	संगंधीय पौधे यथा– मेन्था/लेमनग्रास/जावा सिट्रोनेला इत्यादि का रोपण सामग्री		
13.	मशाला फसलों यथा इत्यादि लहसुन/हल्दी/धनिया/ मिर्च के सत्यापित रोपण सामग्री		
14.	प्लास्टिक क्रेट्स (30-48 Kg/Ltrs)	Bottom Solid, Side Perforated (Branded)	
15.	लेनोबेग/ केला फ्रुट ट्रेप बैग (50 Kg)	Branded	

शर्तें :–

1. रूचि की अभिव्यक्ति सभी अवयवों अथवा एक से अधिक अवयवों के लिए दी जा सकती है।
2. ''रूचि की अभिव्यक्ति'' आवश्यक रूप से सीलबन्द लिफाफे में दी जायेगी तथा लिफाफे पर स्पष्ट रूप से ''रूचि की अभिव्यक्ति'' अंकित की जायेगी।
3. उत्पादक/फर्म/एजेन्सी/संगठन/संस्था/कम्पनी जो भी हो उन्हें बागवानी विकास के क्षेत्र में कम–से–कम तीन वर्षों का व्यापक अनुभव प्राप्त होना चाहिए। रूचि की अभिव्यक्ति के साथ कार्यादेश/अनुभव प्रमाण–पत्र आवश्यक रूप से संलग्न कियें जायेंगे।
4. रूचि की अभिव्यक्ति के साथ निम्न कागजात/दस्तावेज आवश्यक रूप से संलग्न होना चाहिए।
   (क) निर्माता/उत्पादक/अधिकृत/विक्रेता फर्म कम्पनी जो भी हों उन्हें पंजीयन प्रमाण–पत्र तथा फैक्ट्री/फर्म/कम्पनी आदि का पूर्ण विवरण तथा प्रोडक्ट कैटलॉग ''रूचि की अभिव्यक्ति'' के साथ संलग्न करना होगा।
   (ख) अधिकृत विक्रेता फर्म/एजेन्सी होने पर निर्माता कम्पनी का अधिकृत विक्रेता संबंधी प्रमाण पत्र संस्था का निबंधन प्रमाण–पत्र तथा प्रोडक्ट कैटलॉग आवश्यक रूप से संलग्न करना होगा।
5. आवश्यक कागजातों/ दस्तावेजों के बगैर प्राप्त ''रूचि की अभिव्यक्ति'' अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
6. दर सभी कर /टैक्स/ड्यूटी/संस्थापना व्यय आदि सम्मिलित कर गन्तव्य स्थल तक (For Destination) का व्यय सम्मिलित कर दिया जायेगा।
7. ब्रांड नेम/विनिर्देश तथा वारंटी की समय सीमा सभी अवयवों की अलग–अलग दी जायेगी। रोपण सामग्रियों के संबंध में कीट/व्याधि मुक्त होने तथा जेनिटिकली शुद्ध तथा स्वस्थ होने संबंधी प्रमाण–पत्र संलग्न किया जायेगा।
8. व्यापार संबंधी प्रमाण–पत्र/पैनकार्ड/टीन/वैट नं सहित ''रूचि की अभिव्यक्ति'' के साथ आवश्यक रूप से संलग्न किये जायें।
9. ''रूचि की अभिव्यक्ति'' के साथ यदि कोई व्यापार छुट (Trade Discount) देय हो तो स्पष्टतः अंकित किये जाने चाहिए।
10. टेलिफोन नं॰/मोबाईल नं॰ तथा पूर्ण पता ''रूचि की अभिव्यक्ति'' में आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिए।

www.horticulture.bih.nic.in

11. निविदायें दो अलग–अलग लिफाफों में दिये जायेंगे। पहले लिफाफे में निविदादाता की तकनीकी पृष्ठभूमि और दूसरे लिफाफे में वित्तीय दर का उल्लेख रहेगा। पहले लिफाफे के ऊपर ''तकनीकी'' और दूसरे लिफाफे के ऊपर ''वित्तीय'' अंकित कर उन्हें एक बड़े लिफाफे में बंद कर भेजा जाएगा।

12. तकनीकी प्रस्ताव के साथ `50,000 रूपये (पचास हजार रूपये) का राष्ट्रीय कृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना होगा। सुरक्षित जमा राशि के बगैर प्राप्त ''रूचि की अभिव्यक्ति'' को अस्वीकृत कर दिया जायेगा। असफल निविदादाताओं का `50,000 रूपये का सुरक्षित जमा राशि वापस कर दी जायेगी।

13. कटिंग/ओभर राईटिंग को अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए।

14. यदि ''रूचि की अभिव्यक्ति'' खोलने की तिथि को अवकाश घोषित हो जाता है तो अगले कार्य दिवस को खोला जायेगा।

15. तकनीकी मापदंड के निर्धारण हेतु निविदादाता को सरकारी/प्रतिष्ठित संस्थानो को पूर्व में आपूर्त्ति करने संबंधी क्रायादेश तथा अन्य साक्ष्य, बिक्री वाद सेवा तथा वित्तीय पृष्ठभूमि से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

16. अन्य शर्तें यदि कोई होगी तो उसे रूचि की अभिव्यक्ति खोलने के समय घोषित की जा सकती है।

17. बिहार हॉर्टिकल्चर डेभलपमेंट सोसायटी, पटना को बिना कारण बताये रूचि की अभिव्यक्ति को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

मिशन निदेशक
राज्य बागवानी मिशन, बिहार।

www.horticulture.bih.nic.in